जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 20.08.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी / जालसाजी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2021 धारा 419/420/467/468/471/120 बी/ 504/506 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अबरार अहमद पुत्र स्व0 रफीकउल्लाह निवासी चूड़ी फरोश कस्बा मगहर वार्ड न0 05 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को मगहर सेवा आश्रम आइडियल पब्लिक जुनियर हाई स्कूल के सामने से गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1.अबरार अहमद पुत्र स्व0 रफीकउल्लाह निवासी चूड़ी फरोश कस्बा मगहर वार्ड न0 05 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

उ0नि0 श्री राजीव सिंह,हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.08.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 104 वाहनों से 1,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 104 वाहनों से 1,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा सड़क मार्ग में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत अलीनगर से इवेन्ट संख्या 44686 से कालर द्वारा सूचना दिया कि सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक से साईकिल में ठोकर लग जाने के कारण 02 व्यक्तियों (1. मख्खनलाल पुत्र फौजदार थाना महुली सकबीरनगर एवं 2- विनोद कुमार पुत्र रंगीलाल ग्राम बनकटी थाना लालगंज बस्ती) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तिओं को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 प्रभाकर चौबे, हो0चा0 राजकिशोर।**